संख्या–15/20/95–का–4–2008

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2008

विषयः– लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–4

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26 मार्च, 2007, दिनांक 9 अगस्त, 2007 एवं दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 में आपसे यह अनुरोध किया गया था कि आरक्षण सहित अन्य समस्त बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए, सेवा नियमावली की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) सहित समय से लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2006 में अंकित समय-सारिणी का अनुपालन किया जा सके।

2–लोक सेवा आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त शासनादेशों के सुस्पष्ट निर्देशों को बावजूद उन्हें समय से अधियाचन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं जिससे विज्ञापन प्रकाशित कराने तथा चयन कराने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है।

3–उपर्युक्त के दृष्टिगत, सीधी भर्ती के अधियाचन के पुनरीक्षित प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए आपसे निम्नवत् अनुरोध करने का मुझे पुनः निदेश हुआ है :–

(1) सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2009 एवं सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2009 से संबंधित अधियाचन विलम्बतम दिनांक 15 नवम्बर, 2008 तक लोक सेवा आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(2) आयोग द्वारा सम्पादित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों से संबंधित अधियाचन भी समय से लोक सेवा आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2006 के द्वारा निर्धारित समय-सारिणी का पालन किया जा सके।

(3) यह भी अनुरोध है कि प्रेषित किये जाने वाले समस्त अधियाचनों में रिक्तियों की सुस्पष्ट संख्या के साथ-साथ लम्बवत् तथा क्षैतिज आरक्षण की स्थिति सुस्पष्ट करते हुए सेवा नियमावली की प्रति भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

4–कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :–यथोपरि–

भवदीय,
कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।

संख्या 15/20/95(1)–का–4–2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।

अधियाचन प्रपत्र–1

(प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा भरे जाने वाले आदि पदों के लिए)

1–(क) पद का नाम तथा वेतनमान,

(ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हॉ, तो वह पद कब सृजित किया गया,

(ग) भरे जाने वाले पदों की संख्या–

1–अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए,

2–अनुसूचित जनजाति के लिए,

3–पिछड़ी जाति,

4–स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित,

5–सेना के विकलांग एवं सेना के वियोजित अभ्यर्थियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए,

6–अक्षम/विकलांग अभ्यर्थियों हेतु–

(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि के अभ्यर्थियों के लिए,

(2) श्रवणहास के ग्रसित अभ्यर्थियों के लिए,

(3) चलन क्रिया संबंधी अशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रसित व्यक्तियों के लिए–

(आरक्षण हेतु पद विशेष को चिन्हित व अधिसूचित किये जाने विषयक शासनादेश/अधिसूचना/विज्ञप्ति का विवरण देते हेए उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न करें)

7–महिलाओं के लिए,

8–सामान्य अभ्यर्थियों हेतु

टिप्पणी :–क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियॉ रोस्टर के अनुसार है ? यदि हॉ तो रोस्टर के क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

(घ) यदि यह पद नय नहीं है, तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है–

1–क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गई है,

2–यदि हॉ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है,

3–क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गय है, यदि हॉ, तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये,

4–यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, तो परिस्थितियॉ बताई जाय जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी–

(क) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है,

(ख) सेवा का नाम यदि कोई हो, जिससे उक्त पद संबंधित है,

(ग) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो संबंधित सेवा नियमावली में दिखाई गई है–

(घ) यदि नहीं, तो नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 26/29–65, दिनांक 11 अक्टूबर, 1965 के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक विज्ञप्ति की संख्या और दिनांक बतायें

2–राजपत्रित या अराजपत्रित,

3–यह पद स्थाई है अथवा अस्थाई, यदि अस्थाई है तो वह अवधि जबकि यह पद कायम रहेगा,

4–क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा बिना पेंशन का,

5–परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो,

6–कर्तव्य,

7--चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्य ग्रहण करना होगा,

8--वेतनमान क्या बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है, यदि हॉ तो किस हद तक,

9--निर्वाह निधि,

10--कोई विशेष रियायत जैसे मुक्त क्वार्टर रोशनी पानी,

11--अपेक्षित अर्हताएं--

(क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा संबंधी अर्हतायें प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं,

(ख) अधिमान्य अर्हताएं यदि कोई हो,

(ग) कोई अन्य अर्हताएं,

(घ) यदि उपर्युक्त अर्हताएं किसी पद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है,

(ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं स्वीकार की जायेगी, यदि हॉ तो समकक्ष अर्हताएं बताईए।

12--आयु सीमायें--

(क) निम्न आयु सीमा,

(ख) उच्च आयु सीमा (यह बताइये कि क्या इस आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है तो कितना)।

13--राष्ट्रीयता,

14--क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं यदि हॉ तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा, उन शर्तों को बताइये जो उनके पक्ष में शिथिल की जायेगी,

15--कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता को उपर्युक्त प्रश्नों के अन्तर्गत नहीं आती।

अधियाचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर.....

पद नाम.....

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 11 सा० नियुक्ति--22-10-2008--(1315)--1500 (कम्प्यूटर/आफसेट)।